

# सबमीशन कैसे जमा कराएँ

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन उन तरीकों की जांच-पड़ताल करने का कार्य है जिनके द्वारा हम विकलांगता से ग्रस्त लोगों को नुकसान का सामना करने और अनुचित तरीके से बर्ताव किए जाने से बचा सकते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सुधार लाएँगे।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन निम्नलिखित के संबंध में विकलांगता से ग्रस्त एक व्यक्ति के तौर पर आपके अनुभव जानना चाहती है:

**हिंसा** – जब कोई आपको नुकसान और चोट पहुँचाता है।

**अवहेलना** – जब कोई आपकी देखरेख करना बंद कर देता है।

**दुर्व्यवहार** – जब कोई आपको नीचा दिखाता है या आपसे अनुचित लाभ उठाता है।

**शोषण** – जब कार्यस्थल में कोई बिना वेतन दिए आपका प्रयोग करता है या आपको एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान नहीं दिया जाता है।

कमीशन पक्षसमर्थकों, समर्थन कर्मियों, परिजनों और मित्रों से सबमीशन देने की मांग कर रहा है।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन दुभाषियों या अनुवादकों के लिए भुगतान करेगा।



**आपको अपने नाम का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है।**

आप अलग-अलग तरीकों से सबमीशन कर सकते/सकती हैं:

<https://shareyourstorysubmission.disability.royalcommission.gov.au/> पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से **लिखित तौर** पर या GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001 को डाक से पत्र भेजकर [DRCEnquiries@royalcommission.gov.au](mailto:DRCEnquiries@royalcommission.gov.au) को **ई-मेल करके**

**1800 517 199 पर फोन करके**

(सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के दिनों के अलावा)

अपने अनुभव **रिकॉर्ड करके** और ऑडियो या वीडियो सबमीशन भेजकर।

सबमीशन फॉर्म में "Attach Files" बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल(लें) अपलोड करके कुल 4GB तक अधिकतम 10 फाइलें अपलोड की जा सकती हैं। यदि ऑडियो या वीडियो फाइलों का साइज 4GB से अधिक है, तो रिकॉर्डिंग ई-मेल करें या इसे USB में डालें और हमें भेजें – अधिकतम 20GB प्रति फाइल। वैकल्पिक तौर पर, आप अपनी रिकॉर्डिंग YouTube पर डाल सकते/सकती हैं और हमें लिंक भेज सकते/सकती हैं।

यदि अपनी फाइलें अपलोड करने में आपको मदद चाहिए तो कृपया रॉयल कमीशन को 1800 517 199 पर फोन करके या [DRCEnquiries@royalcommission.gov.au](mailto:DRCEnquiries@royalcommission.gov.au) पर ई-मेल करके संपर्क करें।

**अन्य भाषाओं में डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, [www.neda.org.au](http://www.neda.org.au) देखें।**



**आप अपनी भाषा में बात कर या लिख सकते/सकती हैं।**